मध्यप्रदेश शासन

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमांक एफ. सी. 5-5/87/49/3, भोपाल, दिनांक 11 अगस्त, 1988

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत विभागीय जांच में शासकीय सेवक द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की सहायता लेने के संबंध में.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (8) के अन्तर्गत प्रावधान है कि अभियुक्त शासकीय सेवक अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये किसी अन्य शासकीय सेवक की सहायता ले सकता है. ऐसा करने के लिये उसे जांच प्राधिकारी या अनुशासिक प्राधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है.

2. उपर्युक्त प्रावधान के संदर्भ में मार्जिन में अंकित ज्ञापन दिनांक 18 जून, 1974 के पैरा 2 में यह उल्लेख किया गया हैं कि यदि सहायता करने वाला शासकीय सेवक, विभागीय जांच के दौरान सेवानिवृत्त हो जाता है या सेवा से पृथक् हो जाता है, तो उसके सेवानिवृत्त या सेवा से पृथक् होने की तिथि के बाद उसकी सहायता नहीं ली जा सकेगी.

पूर्व संदर्भ :— सा. प्र. वि. के ज्ञापन

1. क्र. 32/1090/1 (3) 70, दिनांक 11-1-1971
2. क्र. 406/970/1 (3) 74, दिनांक 18-6-1974
3. क्र. 420/510/1 (3) दिनांक 26-6-1975.

3. अब शासन ने शासकीय कर्मचारियों की कठिनाइयों पर विचार करते हुये यह निर्णय लिया है कि अपचारी शासकीय सेवक उसके विरुद्ध चल रही विभागीय जांच में उसकी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की भी सहायता, निम्नांकित शर्तों के अधीन, ले सकता है :—

(1) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक मध्यप्रदेश शासन की सेवाओं से अथवा मध्यप्रदेश संवर्ग की अखिल भारतीय सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ हो.

(2) ऐसा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक एक समय में दो से अधिक ऐसे मामले नहीं ले सकता उसे जांचकर्ता अधिकारी के समक्ष यह प्रमाणित करना चाहिये कि उसके पास उस समय केवल दो ही प्रकरण है.

(3) कोई भी शासकीय सेवक उसके विरुद्ध चल रही विभागीय जांच में अन्य सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की सहायता उस परिस्थिति में भी ले सकेगा, यदि वह सेवानिवृत्त शासकीय सेवक विधि व्यवसायी भी हो, लेकिन इस संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (सी. सी. एण्ड ए.) रूल्स, 1966 के नियम, 14 (8) के प्रावधान लागू होंगे.

(4) ऐसे मामलों में सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जिस प्रकार सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी. इस प्रकार के यात्रा देयकों का भुगतान जांच अधिकारी द्वारा दिये गये उपस्थिति प्रमाण-पत्र के आधार पर उस कार्यालय द्वारा किया जावेगा. जिस कार्यालय से अपचारी शासकीय सेवक संबंधित है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

क्रमांक एफ. सी. 5-5/87/49/3, भोपाल, दिनांक 11 अगस्त, 1988

प्रतिलिपि.—

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर, सचिव कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल, म. प्र. भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल. सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
3. मुख्य मंत्री जी समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/ उप मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ.
4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव (का. प्र. सु. एवं प्रशि. वि.).
5. अवर सचिव (स्थापना) अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखा अधिकारी मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल.
6. प्रान्ताध्यक्ष, म. प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, भोपाल.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.